इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 404]   भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 सितम्बर 2014—भाद्र 13, शक 1936

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2014

फा. 12-वि.-निर्वा.-2014-चार-609.—राज्य सभा उप चुनाव के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं :—

1. क्रमांक **100/CS/3/2014(1)** दिनांक 4 सितम्बर, 2014
2. क्रमांक **100/CS/3/2014(2)** दिनांक 4 सितम्बर, 2014

जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर 2014—भाद्रपद 13, 1936 (शक)

अधिसूचना

सं. 100-रा.स.-3-2014(1).—यत:, मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित श्री कप्तान सिंह सोलंकी उनकी पदावधि जो 2 अप्रैल 2018 को सम्मिलित करते हुए, उस तारीख तक थी, के हरियाणा राज्य के राज्यपाल बनने के कारण भारत के संविधान के अनुछेद 158(1) के तहत् 27 जुलाई 2014 को रिक्त हो गया है; और

यत:, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप निर्वाचन कराना है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 147, धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा :—

(अ) मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे 26 सितम्बर 2014 (शुक्रवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में :—

(क)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख	:	11 सितम्बर 2014 (गुरुवार)
(ख)	नामनिर्देशन की संवीक्षा की तारीख	:	12 सितम्बर 2014 (शुक्रवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	:	15 सितम्बर 2014 (सोमवार)
(घ)	वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा और	:	22 सितम्बर 2014 (सोमवार)
(ङ)	वह तारीख, जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा	:	26 सितम्बर 2014 (शुक्रवार)

नियत करता है; और

(इ) 9.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ है तो, निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा.

आदेश से,

हस्ता./-

(के. अजय कुमार)
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 04th September 2014—Bhadrapada 13, 1936 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100-CS-3-2014(1).—Whereas, the seat of Shri Kaptan Singh Solanki in the Council of States elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Madhya Pradesh, has become vacant of 27th July, 2014 by the reason of his vacating the seat in terms of Article 158(1) of the Constitution of India on his entering upon the office of Governor of the State of haryana, before the expiration of his term of office which was up to and including the 2nd April 2018; and

Whereas, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

Now, therefore, in pursuance of Section 147, sub-section (1) of Sections 39 and Sections 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby :—

(A) Calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Madhya Pradesh to elect, before 26th September 2014 (Friday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Council of States;

(B) Appoints, with respect to the said election :—

(a) the 11th September 2014 (Thursday), as the last date for making nominations;

(b) the 12th September 2014 (Friday), as the date for the scrutiny of the nominations;

(c) the 15th September 2014 (Monday) as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 22nd September 2014 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 26th September 2014 (Friday), as the date before which the election shall be completed; and

(C) Fixes the hours from 9:00 A.M. to 4:00 P.M. as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,

Sd./-
(K. AJAYA KUMAR)
Principal Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर 2014—भाद्रपद 13, 1936 (शक)

अधिसूचना

सं. 100-रा.स.-3-2014(2).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा तारीख 4 सितम्बर 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित आयोग की अधिसूचना के अनुसरण में इस राज्य में राज्य सभा के लिए उप निर्वाचन के संबंध में :—

(1) नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है; और

(2) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है.

सारणी

रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी (1)	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी (2)
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल.	श्री ए. पी. सिंह, अपर सचिव मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल.

आदेश से,

हस्ता./-
(के. अजय कुमार)
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 04th September 2014—Bhadrapada 13, 1936 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100-CS-3-2014(2).—In pursuance of Section 21 and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the Government of the State of Madhya Pradesh, hereby.—

(i) designates the officer, specified in column (1) of the Table below to be the Returning Officer; and

(ii) Appoints, the officer, specified in column (2) of the said Table to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer in the performance of his functions;

In respect of the bye-election to the Council of States, to be held in that State in pursuance of the Commission's Notification, published in the Gazette of India on 04th September 2014 :—

TABLE

Officer Designated as Returning Officer (1)	Officer Appointed as Assistant Returning Officer (2)
Principal Secretary, Legislative Assembly, Madhya Pradesh, Bhopal.	Shri A. P. Singh, Additional Secretary, Legislative Assembly Madhya Pradesh, Bhopal.

By order,

Sd./-
(K. AJAYA KUMAR)
Principal Secretary,
Election Commission of India.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.